न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग।

अपील दाखिल खारिज वाद संख्या–08/2017–18

शंकर दयाल एवं अन्य राज्य

–:आदेश:–

यह वाद आवेदक शंकर दयाल, ब्रजेश कुमार मेहता, मनीष कुमार, रविकान्त सभी के पिता स्व0 धनेश्वर महतो, मनीष मेहता पिता माथुर महतो एवं कपिलदेव मेहता पिता वंशी महतो ग्राम– बड़ासी एवं नगवां थाना– सदर, जिला– हजारीबाग द्वारा मौजा लुण्डी हल्का नं0– 08 खाता नं0– 13, प्लॉट नं0– 111, 70, 138 रकवा क्रमशः– 0.56 एकड़, 0.86 एकड़ एवं 0.53 एकड़ कुल रकवा 1.95 एकड़ भूमि का अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के दाखिल खारिज वाद संख्या 220/2017–18 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर अपील आवेदन के आधार पर प्रारंभ करते हुए कार्यालय पत्रांक 31/भू0सु दिनांक 19.01.2018 पत्रांक 49/भू0सु0 दिनांक 11.01.2019 एवं पत्रांक 411/भू0सु0 दिनांक 01.10.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमसांडी से निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख की मांग की गई। फलस्वरूप सुनवाई की गई।

अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि मौजा– लूण्डी थाना नं0– 57 खाता नं0– 13 वो खाता नं0– 35 रकवा– 10.04 एकड़ जमीन अब्दूल गनी वो अब्दूल सकुर पिता– मौलवी करीम बक्स को दोवामी पट्टा से दिनांक 14.12.1927 को हासिल हुआ। उक्त भूमि में से कुल रकवा 1.95 एकड़ भूमि अपीलार्थीगण ने बिक्रेता मिन्हाज खान पिता स्व0 मुस्ताक खान साकिन– बॉडम बाजार हजारीबाग से निबंधित केवाला सं0– 2282/2032 दिनांक 27.02. 2013 द्वारा क्रय कर शांतिपूर्वक दखलकार चले आ रहे हैं। विक्रेता की पत्नी के नाम से पंजी– II के पृष्ठ संख्या 186 भौल्यूम– 01 में जमाबंदी दर्ज है। विक्रेता के पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अन्त में अपीलार्थी द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमसांडी का दाखिल खारिज वाद संख्या 220/17–18 में पारित आदेश को खारिज करने एवं अपील आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी का पत्रांक 52 दिनांक 04.02.22 द्वारा LCR प्राप्त हुआ। प्राप्त LCR में प्रतिवेदित है कि खेसरा का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं हैं, सही खेसरा की विवरण प्रविष्टि करें।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता हे कि अपीलार्थी निबंधित केवाला से क्रय कर दखलकार है एवं विक्रेता के पत्नी के नाम से जमाबंदी कायम है। खेसरा का विस्तृत विवरण दर्ज नहीं होना ठोस कारण प्रतीत नहीं होता है।

अतः अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के दाखिल खारिज वाद संख्या 220/17-18 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन दा0खा0 आवेदन प्राप्त कर सभी राजस्व कागजातों की जाँच कर विधि के अनुरूप विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए नियमानुसार दाखिल खारिज करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Sd/- 15/05/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सदर, हजारीबाग।

Sd/- 15/05/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सदर, हजारीबाग।

Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2022.11.07 17:26:33 +05:30
Location: 192.168.1.47